संख्याः-12/2018/1263/60-3-2018-8सा./18टीसी

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 महिला कल्याण निगम लि0,
लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 23 जुलाई, 2018

विषयः-वृदावन, मथुरा में निर्मित 1000 शैय्या के महिला आश्रय सदन के संचालन हेतु संस्थाओं के चयन हेतु समिति गठित किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 280/म0क0नि0, दिनांक 18.7.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सुनरख बॉगर, वृन्दावन में नवनिर्मित 1000 शैय्या के आश्रय सदन के सफल एवं सुचारू संचालन के दृष्टिगत उपयुक्त एवं अनुभवी संस्थाओं के चयन हेतु उच्च स्तरीय समिति को गठित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत महिला आश्रय सदन की क्षमता के दृष्टिगत उसके सफल एवं सुचारू संचालन के लिए उपयुक्त एवं अनुभवी संस्थाओं के चयन हेतु निम्नानुसार उच्च स्तरीय समिति गठित की जाती हैः-

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम	-	अध्यक्ष
2. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम	-	सदस्य
3. संयुक्त सचिव, महिला कल्याण, उ0प्र0 शासन	-	सदस्य
4. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम	-	सदस्य
5. श्रीमती प्रेमवती, उप निदेशक, महिला कल्याण निदेशालय	-	सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रकाशित विज्ञापनों के सापेक्ष प्राप्त आवेदनों के विश्लेषण उपरान्त चिन्हित संस्थाओं का प्रस्तुतिकरण उक्त गठित समिति के समक्ष किया जायेगा। तत्पश्चात समिति द्वारा उपयुक्त संस्था के चयन की संस्तुति की जायेगी।

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्याः 1263(1) /60-3-2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम, लखनऊ।
3. श्री अजय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. श्रीमती प्रेमवती, उप निदेशक, महिला कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम लि0, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।